न्यायालय :: नवम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर, छ0ग0
(पीठासीन अधिकारी– जयदीप गर्ग)

Civil Appeal (B)/1/18
संस्थित दि0 –22/10/2013
निर्णय दिनांक 23.04.2018

श्री कुमार आयु 51 वर्ष पिता लालसाय,
जाति सतनामी, नि0 ग्राम बकरकुदा,
तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर, छ0ग0।
.....**अपीलार्थी/प्रतिवादी।**

–:: बनाम ::–

1– पोषण कुमार आयु 26 वर्ष पिता स्व0 सुकालू,
जाति सतनामी, नि0 ग्राम अमेरी (अकबरी),
तहसील व जिला बिलासपुर, छ0ग0।
2– छत्तीसगढ़ शासन,
द्वारा जिलाध्यक्ष, बिलासपुर, छ0ग0।
..... **उत्तरवादीगण/वादी।**

———————————————————————————————

व्यवहार अपील अंतर्गत आदेश 41 नियम 01 सपठित धारा– 96 व्य0प्र0सं।

———————————————————————————————

अपीलार्थी द्वारा श्रीमती शारदा नवरंग, अधिवक्ता।
उत्तरवादी क0 01 द्वारा श्री पी0 आर0 श्रीवास, अधिवक्ता।
उत्तरवादी क0 02 द्वारा श्री शिवकुमार पंकज, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता।

———————————————————————————————

–::निर्णय ::–

(आज दिनांक–23–अप्रैल,2018 को घोषित)

1– अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा उत्तरवादी/वादी के विरूद्ध यह व्यवहार अपील न्यायालय– तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–एक, बिलासपुर, छ0ग0 (श्रीमती पूजा जायसवाल) द्वारा व्यव0 वाद क0 01ब/12, पोषण कुमार बनाम श्रीकुमार में दिनांक 16.08.13 को घोषित निर्णय एवं पारित आज्ञप्ति से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उत्तरवादी क0 01/वादी का रकम वसूली का वाद स्वीकार कर अपीलार्थी/प्रतिवादी को दावाकृत राशि

40000/–रूपये आज्ञप्ति दिनांक से छः प्रतिशत वार्षिक व्याज सहित उत्तरवादी/वादी को अदा करने हेतु आज्ञप्त किया गया है।

2– वादी द्वारा प्रस्तत वाद पत्र का सार यह है कि उत्तरवादी क0 01/वादी ने अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रकम वसूली हेतु इस आशय का वाद प्रस्तुत किया था कि अपीलार्थी/प्रतिवादी ने ग्राम बकरकुदा, प0ह0नं0 41, रा0नि0मं0 मस्तूरी, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर स्थित अपनी भूमि ख0नं0 465/3 रकबा 0.85 एकड़ को उत्तरवादी/वादी के पास 285000/– रूपये में विक्रय करने का पक्का सौदा कर बयाना 40000/– रूपये प्राप्त कर 45 दिवस के भीतर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर रजिस्ट्री कराने का इकरारनामा दिनांक 11.10.11 को निष्पादित किया था। पंजीयन कराने हेतु अपीलार्थी/प्रतिवादी को कई बार मौखिक कहने पर किसी–न–किसी बहाने से पंजीयन कराने से टाल–मटोल करता रहा। तब उत्तरवादी/वादी ने दिनांक 28.03.12 एवं 12.04.12 को पंजीकृत सूचना पत्र भिजवाया, किंतु अपीलार्थी/प्रतिवादी ने भूमि की रजिस्ट्री नहीं कराई। उत्तरवादी/वादी द्वारा राजस्व कर्मचारियों से जानकारी लेने पर पता चला कि अपीलार्थी/प्रतिवादी ने उत्तरवादी/वादी को धोखा देते हुए गलत भमि का विवरण इकरारनामा में लिखवा कर बयाना राशि प्राप्त किया है। अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा अवैधानिक रूप से अपने को लाभान्वित करते हुए उत्तरवादी/वादी को नुकसान पहुंचाया है। उक्त आधारों पर उत्तरवादी/वादी अपीलार्थी/प्रतिवादी से बयाना के रूप में अदा की गई 40000/–रूपये की राशि बैंक व्याज की दर से वापस प्राप्त करने का अधिकारी है।

3– निम्न न्यायालय समक्ष अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया कि अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा उत्तरवादी /वादी से कोई इकरारनामा नहीं किया गया और न ही बयाना राशि प्राप्त की गई है। उत्तरवादी/वादी द्वारा जो इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है, वह अमेरी

अकबरी के व्यक्ति द्वारा खरीदा गया है और उक्त स्टाम्प के प्रथम एवं पृष्ठ भाग में अंगूठा निशान है, जबकि प्रतिवादी/अपीलार्थी हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार इकरारनामा जालसाजी से तैयार किया गया है। उक्त आधारों पर वादी प्रतिवादी से कोई रकम प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होना व्यक्त कर उत्तरवादी/वादी का वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4— विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर वाद प्रश्नों की रचना कर, उभय पक्ष का साक्ष्य अभिलिखित कर अंतिम तर्क श्रवण करने के उपरांत आलोच्य निर्णय द्वारा वादी का वाद अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञप्त किया गया है।

5— अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से अपील में यह तर्क एवं आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति विधि एवं तथ्यों तथा उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। इकरारनामे का स्टाम्प अपीलार्थी द्वारा क्रय नहीं किया गया है और उसमें दर्ज खसरा नंबर अपीलार्थी के नाम पर नहीं है, चौहद्दी भी दर्ज नहीं है और ऋण पुस्तिका का जगह खाली है। रकम दिये जाने के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। वादी ने साक्ष्य कंडिका 07 में यह स्वीकार किया है कि उसने अपीलार्थी का कोरे स्टाम्प पर अंगूठा लगवाया था। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ वादी के साक्ष्य एवं संभावनाओं के आधार पर आलोच्य निर्णय पारित किया है। उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य निर्णय एवं अज्ञाप्ति निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6— उत्तरवादी/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति को विधि सम्मत होना व्यक्त कर अपील आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

7— इस अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि :—

'' क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से हस्तक्षेप किये

जाने योग्य है?

:: निष्कर्ष के आधार ::

8— वादी/उत्तरवादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में ही कथन किये गये हैं। मुख्य परीक्षण में वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी व उसके रिश्तेदारों से वादी परिचित है। प्रतिवादी ने 2,85,000/—रूपये में भूमि विक्रय करने का सौदा करते हुए 40,000/—रूपये बतौर बयाना दिनांक 11.10.11 को प्राप्त किये थे। इस विषय में वादी द्वारा मूल इकरारनामा दिनांक 11.10.11 प्रदर्श पी0 01 प्रस्तुत किया गया है। वादी का मुख्य परीक्षण में यह भी कथन है कि उसने भूमि की रजिस्ट्री कराने हेतु प्रतिवादी को कई बार मौखिक तकादा किया, परंतु प्रतिवादी किसी—न—किसी बहाने से रजिस्ट्री करने से टाल—मटोल करता रहा। अंत में वादी द्वारा प्रतिवादी को पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक 28.03.12 प्रदर्श पी0 02 एवं अन्य पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक 12.04.12 प्रदर्श पी0 05 भेज गये। इन नोटिसों का प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में भूमि की रजिस्ट्री नहीं कराई।

9— प्रतिवादी अपने जवाब में अभिवचन किया है कि उसने कोई इकरारनामा निष्पादित नहीं किया है क्योंकि वह हस्ताक्षर करता है, जबकि इकरारनामा प्रदर्श पी0 01 पर अंगूठा निशानी लगा है। प्रतिवादी द्वारा वादी का प्रतिपरीक्षण किया गया है। वादी के प्रतिपरीक्षण में कहीं पर भी यह सुझाव नहीं दिया गया है कि प्रतिवादी द्वारा इकरारनामा निष्पादित नहीं किया गया है, बल्कि प्रतिपरीक्षण की कंडिका 07 के अंतिम लाईन में यह सुझाव दिया गया है कि वादी द्वारा प्रतिवादी का अंगूठा कोरे स्टाम्प पर लगवाया गया है, उसके जवाब में वादी ने कहा है कि ''यह कहना गलत है कि मैंने कोरे स्टाम्प पर अंगूठा लगवाया था। स्वतः कहा कि लिखापढ़ी होने के बाद अंगूठा लगवाया गया था''। इसी प्रकार प्रतिपरीक्षण की कंडिका 09 में भी

प्रतिवादी के सुझाव पर वादी द्वारा जवाब दिया गया है कि ''यह कहना गलत है कि मैंने प्रतिवादी से धोखे से अंगूठा लगवाया है''। उपरोक्त दोनों उत्तर से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी स्वयं मानता है कि उसका अंगूठा इकरारनामा दिनांक 11.10.11 पर लगा है।

10 प्रतिवादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 02 में उल्लेखित किया गया है कि वादी द्वारा जालसाजीपूर्वक दस्तावेज तैयार किया गया है। कंडिका 03 में लिखा गया है कि इकरारनामा के प्रथम भाग पर अंगूठा निशान है तथा पृष्ठ भाग में अंगूठा निशान है वह उसका है, जो जालसाजी कर इकरारनामा तैयार किया गया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 08 में प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया है कि वह नहीं जानता कि इकरारनामा पर उसका अंगूठा निशान है या नहीं, क्योंकि उस समय उसे शराब पिला दिया गया था। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 06 में स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा वादी को नोटिस का जवाब नहीं दिया गया था।

11— प्रकरण में यदि वादी द्वारा इकरारनामा निष्पादित नहीं किया गया था और उसको वादी द्वारा जब नोटिस भेजे गये थे तो उसे तुरंत जवाब देना चाहिए था कि उसके द्वारा इकरारनामा निष्पादित नहीं किया गया है। नोटिस का जवाब नहीं देने एवं चुप रहने से संदेह की सुई प्रतिवादी की ओर जाती है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रति0सा0 02 लीलाराम ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 03 में कथन किया है कि वादी पोषण कुमार द्व ारा प्रतिवादी कुमार को शराब पिला कर धोखे से कोरे स्टाम्प में अंगूठा निशानी ले लिया गया है।

12— इस प्रकार प्रतिवादी के जवाबदावा एवं उसके साक्ष्य में विरोधाभास है, क्योंकि जवाबदावा में प्रतिवादी कहता है कि उसने कोई इकरारनामा निष्पादित नहीं किया कोई अंगूठा निशानी नहीं लगाया, जबकि साक्ष्य में अंगूठा निशानी शराब पिला कर लगवाया जाना बताया गया है।

13— विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी को अपना वाद स्वयं प्रमाणित

करना होता है एवं वाद पत्र के प्रमाणन का भार वादी पर होता है, परंतु जब प्रतिवादी यह स्वीकार कर लेता है कि इकरारनामा या दस्तावेज पर उसका अंगूठा निशानी है तो वह अंगूठा निशानी धोखे एवं कपट से लिया गया है एवं कोरे कागज पर लिया गया है, यह प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर आ जाता है।

14— अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा धोखे से इकरारनामा निष्पादित किये जाने बाबत् कोई विश्वसनीय साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15— अतः यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में इकरारनामा निष्पादित किया गया एवं बयाना की राशि 40,000/— रूपये प्राप्त किये गये।

16— इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं है। फलस्वरूप निम्न न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति की पुष्टि की जाती है और अपीलार्थी/प्रतिवादी की अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपील का व्यय प्रतिवादी/अपीलार्थी स्वयं का एवं उत्तरवादी का भी वहन करेगा। आलोच्य निर्णय का व्यय उभय पक्ष आलोच्य निर्णय के अनुसार वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क सूची अनुसार या प्रमाणित किये जाने पर जो भी कम हो देय होगा।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

सही/—
(जयदीप गर्ग)
नवम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,
बिलासपुर,छ0ग0

बिलासपुर,
दिनांक—23—04—2018

:::::::::::